न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–करतार सिहं पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या 79/2002 (2020/00079)

शब्बीर हुसैन खांन पुत्र स्व0 श्री मनू खां, जाति कायमखानी, वार्ड नम्बर 4, भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

––अपीलार्थीगण/तृतीय पक्षकार––

बनाम

1. कृष्ण बलदेव पुत्र भीखाराम, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र भीखाराम जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, जरिये मुख्त्यार कृष्णबलदेव पुत्र श्री भीखाराम, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेंट/वादीगण––

3. मनोहरलाल
4. सोहनलाल
5. शकुन्तला
6. सरोज

पिसरान श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–
पुत्रीयां श्री रामचन्द्र जाति नाइ, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

7. सीतादेवी पत्नि स्व0 श्री वेदप्रकाश, जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
8. सुरजीत भादरा
9. रणजीत

पिसरान श्री वेदप्रकाश, जाति नाई, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–

10. कान्ता भादरा,
11. बीना
12. प्रवीण

पुत्रीयां श्री वेदप्रकाश जाति नाई, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

13. सब रजिस्ट्रार भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
14. अनीष पुत्र श्री महबूब खां जाति कलाल, निवासी वार्ड नम्बर 8 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–

––रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश सहायक कलैक्टर भादरा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017, राजस्व वाद संख्या 270/2010 अनवान ''कृष्ण बलदेव आदि बनाम मनोहरलाल आदि''

Signature Not Verified

Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता–अपीलांट
2. श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

–:: निर्णय ::– दिनांक– 12-10-2021

अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 270/2010 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.12.2017 के विरूद्व प्रार्थ्ज्ञना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अपील ज्ञापन में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के विरूद्व धारा 88 व 188 आर.टी.ए. के अन्तर्गत इन अभिकथनों के साथ वादपत्र प्रस्तुत किया कि वे रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेट संख्या 3 से 12 के पूर्वज गुलाबचन्द्र पुत्र जुहारमल जाति नाई की चक 6 बी.एच.डी. के पत्थर नम्बर 449/478 (48) किला नम्बर 23 से 25, पत्थर नम्बर 450/478 (49) किला नम्बर 19–22–23 व पत्थर नम्बर 450/479 (58) किला नम्बर 1 व 2 व पत्थर नम्बर 449/479 के किला नम्बर 3 से 5, 7 से 9, 12–13, 18–19–22–23 कुल 20 बीघा भूमि थी। पत्थर नम्बर 449/49 की भूमि कालान्तर में चक 7 बी.एच.डी. में पैमूद हुई जिसका मुरब्बा नम्बर 6 हुआ। इस भूमि में से पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22 व 23 के उतरी सिरे पर 10–10 बिस्वा भ्ज्ञूमि में सड़क भादरा से नोहर गुजरती थी व इस कारा गुलाबचन्द की षेश 19 बीघा भूमि रही जो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने सन् 1969 में खरीदी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने यह कथन भी किया कि पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22 व 23 में दक्षिणी सिरे पर 4–4 बिस्वा रास्ता भादरा से सिकरोड़ी जने के लिये मंजूरशुदा था तथा उक्त किला नम्बर 22 व 23 मे सडक के लिये अवाप्त 10–10 बिस्वा भूमि के किला नम्बर 22 व 23 में सड़क के लिये अवाप्त 10–10 बिस्व भूमि के अलावा दक्षिणी तरफ की शेष 10–10 बिस्वा मय गैर मुमकिन रास्ता 4–4 बिस्वा रेस्पोडेंट संख्या 22/1 व 23/2 के रूप में दर्ज थे तथा किला नम्बर 22 व 23 के उतरी तरफ सड़क में अवाप्तशुदा भूमि राजस्व अभिलेख में किला नम्बर 22/.126 व 23/1 में 0.127 के रूप में दर्ज रहे। स्व0 श्री गुलाबचन्द को कुल 20 बीघा में से सड़क के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं मिलने के कारण यह भूमि राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज नहीं हुई बल्कि गुलाबचन्द के नाम ही दर्ज रही व कालान्तर में स्व0 श्री गुलाबचन्द के वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने वादपत्र में यह कथन भी किये कि भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से चक 7 बी.एच.डी. के पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22/.126 है. व 23/1 की 0.127 हैक्टेयर जो सड़क में अवाप्त हुई थी व मुआवजा न मिलने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के पूर्वज गुलाबचन्द के नाम दर्ज थी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

का इन्द्राज रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम कर दिया व किला नम्बर 22/1 की 0.076 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.051 हैक्टेयर कुल 0.127 हैक्टेयर व किला नम्बर 23/2 की 0.0759 हैक्टेयर मय गैरुमकिन रास्ता 0.0506 हैक्टेयर कुल 0.126 हैक्टेयर भूमि का इन्द्राज रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के नाम कर दिया व जबकि किला नम्बर 22 व 23 के दक्षिणी तरफ के किला नम्बर 22/1 व 23/2 की कुल 0.153 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.101 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद आनन–फानन में उक्त गलत इन्द्राज का अनुचित फायदा उठाकर पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22/1 व 23/2 की 0.253 हैक्टेयर मय गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 14 को विक्रय कर दिया तथा रेस्पोडेंट संख्या 14 को वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में संयोजित कर संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया। इस वादपत्र का प्रतिवादीगण द्वारा विरोध किया गया व लेकिन बाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 के मध्य राजीनामा होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 पारित की।

अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुये यह आधार लिया है कि पत्थर नम्बर 449/479 (6) किला नम्बर 22 व 23 के उतरी सिरे पर भादरा से नोहर जाने वाली सड़क जो पूर्व में 82½ फीट चौड़ी थी, कालान्तर में यह सड़क राजमार्ग संख्या 106 के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस सड़क की चौड़ाई मध्य बिन्दू से 40–40 मीटर की हो चुकी है तथा अपीलांट की औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित भूमि चक 7 बी.एच.डी. के पत्थर नम्बर 449/480 में स्थित है जो उक्त राजमार्ग के चिपते हुये आ गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत सड़क के लिये अवाप्त हो चुकी भूमि पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22/1 व 22/3 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की खातेदारी घोषित कर दिये जाने वे इस भूमि पर निर्माण करने को कटिबद्व हैं तथा इस कारण अपीलांट को उक्त राजमार्ग पर पहुंचने में बाधा पैदा करने लगे हैं तथा इस कारण अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रत्यक्षतः व सारवान रूप से प्रभावित हुआ है। अपीलांट ने यह कथन भी किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र के विचाराधीन रहते पत्थर नम्ब 449/479 (6) के किला नम्बर 22 व 23 में उतरी सिरे पर जो सड़क पहले 82½ फीट चौड़ी थी, वह सड़क राजमार्ग संख्या 106 बनने से इण्डियन रोड़ कॉग्रेंस के अनुसार सड़क के मध्य से दोनो तरफ 40–40 मीटर कुल 80 मीटर चौड़ी की जाकर अवाप्त की गई है तथा अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी अधिकार प्रदत कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है।

अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किये है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाकर प्रश्नगत भूमि जो सड़क के लिये अवाप्त हो चुकी थी, पर कोविड 19 के कारण हुये लोकडाउन का फायदा उठाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना शुरू किया तो रिकोर्ड देखने से अपीलाधीन डिक्री दिनांक 11.06.2020 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ है तथा ज्ञान के

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

दिवस से यह अपील प्रस्तुत करते हुये दिनांक 14.12.2017 से दिनांक 11.06.2020 तक की अवधि को माफ कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत किया तथा दिनांक 26.08.2021 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बधित तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया। अपीलांट ने यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेट का यह तर्क है कि अपीलांट को राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को धारा 96 सी.पी.सी. के अन्तर्गत चुनौती देने का अधिकार नहीं हैं । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था तथा ना ही उसके द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया है बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 ने परस्पर मिलीभगत कर सही तथ्य छुपाते हुये राजीनामा प्रस्तुत कर सड़क के लिये अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध में डिक्री हासिल कर सड़क के भू–भाग पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर अपीलांट के आवागमन को अवरूद्व करने का प्रयास किया है इस कारण वह व्यथित पक्षकार है तथा उसने ज्ञान होते यह अपील प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन डिक्री से विपरीत रूप से प्रभावित होने से के कथन किये हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये इस अपील का गुणावगुणों पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत होगा। अत अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि से सम्बधित तहसीलदार (राजस्व) भादरा की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अपील के निस्तारण हेतु सुसंगत होने के कारण अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के साथ–साथ यह तर्क भी दिया कि गुलाबचन्द ने जिस बैयनामा दिनांक 04–10–1969 के अन्तर्गत अपनी 20 बीघा भूमि में से 19 बीघा भूमि विक्रय की है उसमें पत्थर नम्बर 449/479 के किला नम्बर 22 व 23 की 10–10 बिस्वा भूमि ही विक्रय किये जाने का उल्लेख है। इस बैयनामा में कथित रूप से किला नम्बर 22 व 23 की सड़क में आई गैर मुमकिन भूमि का उल्लेख नहीं हैं तथा ना ही रेस्पोडेंट यह साबित कर सके हैं कि विक्रय–पत्र के दिवस राजस्व अभिलेख में किला नम्बर 22 व 23 में 10–10 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन दर्ज हो। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत इन्द्राज दर्ज किये जाने के तथ्य को साबित करने हेतु भू–प्रबन्ध से पूर्व की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है तथा यह विक्रय पत्र पंजीकृत होने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा किला नम्बर 22 व 23 की 10–10 बिस्वा खरीद की गई भूमि पर सड़क बन जाने के कारण मिथ्या रूप से किला नम्बर 22 व 23 में दक्षिणी तरफ की शेष 1 बीघा भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता को अपनी खरीदशुदा भूमि होने का कथन कर यह वादपत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया है। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यों की तरफ ध्यान आकृर्षित करते हुये यह तर्क भी दिया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने वादपत्र की चरण संख्या 6 में पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22/1 व 23/2 में वर्णित 0.253 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता गैरमुमकिन भूमि को सड़क घोषित करने का अनुतोष चाहा है तथा अपने अनुतोष "ख" में पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22 व 23 में उतरी तरफ सड़क के लिये अवाप्त 82½ फीट चौड़ी सड़क के स्थान पर इस सड़क को उक्त किला नम्बर 22 व 23 के दक्षिणी तरफ स्थित किला नम्बर 22/1 में दर्ज 0.127 है., किला नमबर 23 में 0.126 हैक्टैयर कुल 0.253 हैक्टेयर जिसमें गैरमुमकिन रास्ता 0.102 दर्ज है, को भादरा से नोहर सड़क का विभागीय रकबा घोषित करने का अनुतोष चाहा है जिससे भी यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बैयनामा दिनांक 04.10.1969 के समय किला नम्बर 22 व 23 की 10–10 बिस्वा भूमि मुमकिन रूप में खरीद की थी तथा इस भूमि में बाद में सड़क बन जाने से इस सड़क के भू–भाग को इन दोनों किलों में दक्षिणी की तरफ होने की घोषणा चाही है तथा बाद में रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के साथ राजीनामा कर विधि विरूद्व डिक्री हासिल की है जो डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेट संख्या 1 व 2 ने तर्क दिया कि रेस्पोडेट संख्या 2 से 12 ने राजीनामा कर इस स्थिति को स्वीकार किया है कि उक्त सड़क किला नम्बर 22 व 23 के उतरी सिरे पर बैयनामा के वक्त अस्तित्व में थी तथा गुलाबचन्द द्वारा किला नम्बर 22 व 23 के दक्षिणी तरफ के 10–10 बिस्वा मय गैरमुमकिन रास्ता विक्रय किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है जिसे अपीलांट तृतीय पक्षकार के रूप में चुनौती नहीं दे सकता तथा अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दोनों पक्षों के तर्क के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। विवाधक संख्या 1 के विवेचन में अधीनस्थ न्यायालय ने गुलाबचन्द पुत्र जुहारमल की चक 6 व 7 बी.एच.डी. में कुल 20 बीघा भूमि होने के तथ्य को निर्णित किया है। यह स्वीकृत स्थिति है कि गुलाबचन्द्र की इस चक में 20 बीघा भूमि थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श–5 विक्रय–पत्र के अन्तर्गत गुलाबचन्द द्वारा किला नम्बर 22 व 23 में गैरमुमकिन सड़क की भूमि को छोड़कर इन दोनों किलों में दक्षिणी तरफ की 1 बीघा भूमि मय गैरमुमकिन रास्ता विक्रय किये जाने के तथ्य को सिद्व मानकर भूल की है। विक्रय–पत्र प्रदर्श–5 में यदि विक्रेता का आशय किला नम्बर 22 व 23 की दक्षिणी तरफ की भूमि विक्रय करने का आशय होता तो किला नम्बर 22 व 23 मय गैरमुमकिन रास्ता का उल्लेख अवश्य होता। बैयनामा प्रदर्श–5 में किला नम्बर 22 व 23 की 10–10 बिस्वा भूमि ही विक्रय किये जाने का उल्लेख है तथा इस बैयनामा में यह भी उल्लेख नहीं है कि किला नम्बर 22 व 23 में उतरी तरफ 10–10 बिस्वा भूमि सड़क अवाप्त हो चुकी हैं। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने सन् 1969 अर्थात सम्वत 2026 की जमाबन्दी भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि यह सिद्व हो सके कि तत्समय किला नम्बर 22 व 23 में उतरी तरफ 10–10 बिस्वा भूमि सड़क के लिये अवाप्त हो गई हो। वादीगण ने प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 जमाबन्दियां प्रस्तुत की है जो भू–प्रबन्ध के बाद की है। इन जमाबन्दियों से यह साबित नहीं होता कि भू–प्रबन्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

विभाग ने इन्द्राज गलत दर्ज किये हो तथा सड़क में अवाप्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दी हो व किला नम्बर 22 व 23 की शेष गैरमुमकिन रास्ता सहित भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी हो। वादीगण यह तथ्य साबित नहीं कर सके हैं कि विक्रय–पत्र प्रदर्श–5 में मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 22 व 23 में 10–10 बिस्वा कुल 1.00 बीघा सड़क का भाग गुलाबचन्द के नाम बचा हो। इस प्रकार विवाधक संख्या 2 को वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने किसी पुष्ट साक्ष्य से साबित नहीं किया है तथा प्रदर्श–5 विक्रय–पत्र में वर्णित परिवर्णनों के विपरीत धारा 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नहीं होने से विवाधक संख्या 2 का निर्णय हस्तक्षेप योग्य है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व किया जाता है।

जहां तक विवाधक संख्या 3 का सम्बन्ध है, वादीगण को यह तथ्य साबित करना था तथा प्रदर्श 5 विक्रय–पत्र के समय किला नम्बर 22 व 23 में 10–10 बिस्वा में सड़क बन चुकी थी तथा गुलाबचन्द को मुआवजा न मिलने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज नहीं हो सकी तथा उक्त 1.00 बीघा गुलाबचन्द के नाम दर्ज रही। इस तथ्य को साबित करने के लिये वादीगण ने तत्समय की जमाबन्दी सम्वत 2026 प्रस्तुत नहीं की है तथा ना ही उस समय सड़क बन चुकी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। वादीगण/रेस्पोडंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 11 व रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श 12 व 13 तथा सहायक अभियन्ता बाबत मुआवजा प्रदर्श 14 व प्रमाणित प्रतिलिपि आसमानीयान सड़क प्रदर्श 15 से यह साबित नहीं होता कि यह सड़क प्रदर्श 5 विक्रय–पत्र के समय अस्तित्व में आ गई हो। यदि वास्तव में यह सड़क विक्रय–पत्र प्रदर्श–5 के समय अस्तित्व में होती तो निश्चित रूप से इस बैयनामा में इस तथ्य का उल्लेख होता। इस प्रकार यह विवाधक संख्या–3 पुष्ट साक्ष्य से साबित करने में वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 असफल रहे हैं। अतः विवाधक संख्या 3 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य है तथा उक्त विवाध्क संख्या 3 वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

जहां तक विवाधक संख्या 3 का सम्बन्ध है जिसे साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण/रेस्पोडेट संख्या 1 व 2 द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग की ओर से की गई कथित गलत प्रविष्टियों को साबित करने से पूर्व भू–प्रबन्ध से पूर्व की कोई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि इस सम्बन्ध में सिर्फ नक्शा प्रदर्श–11 प्रदर्शित करवाया हैं लेकिन इस नक्शा से यह साबित नहीं है कि किला नम्बर 22 व 23 के उतरी भाग में सड़क कब बनी। इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विक्रय–पत्र प्रदर्श 5 में वर्णित किला नम्बर 22 व 23 की 10–10 बिस्वा भूमि वादीगण द्वारा मुमकिन खरीद किये जाने के बाद यह भूमि सड़क के लिये अवाप्त हुई हो तथा गुलाबचन्द के नाम उक्त किला नम्बर 22 व 23 की शेष दक्षिणी तरफ की भूमि राजस्व अभिलेख में उसके नाम खातेदारी दर्ज रही हो। वादीगण ने भू–प्रबन्ध प्रारम्भ होने से पूर्व की जमाबन्दी प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किये जाने के तथ्य को साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुष्ट साक्ष्य के अभाव में इस तनकी का निर्णय वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया है जो हस्तक्षेप योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप यह विवाधक संख्या 3 वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

जहां तक विवाधक संख्या 5 का सम्बन्ध है जिसे साबित करने का भार वादीगण पर था। प्रतिवादी संख्या 12/रेस्पोडेंट संख्या 14 ने राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेंट संख्या 3 से 12 के नाम दर्ज भूमि खरीद की है। वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 विवाधक संख्या 2 से 4 को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे हैं। रेस्पोडेंट संख्या 14 ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर चक 7 बी.एच.डी. की पत्थर नम्बर 449/49 (6) के किला नम्बर 22/1 व 23/2 मय गैरमुमकिन रास्ता खरीद की है तथा यह विक्रय–पत्र दिनांक 01.11.2010 को पंजीकृत हुआ है तथा उसी दि नही वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने वादपत्र प्रस्तुत किया है। बैयनामा प्रदर्श 6 उपपंजीयक कार्यालय में 11 बजे प्रस्तुत होकर पंजीकृत हुआ है। इसलिए यह तथ्य साबित नहीं है कि यह विक्रय–पत्र वादपत्र प्रस्तुत होने के बाद पंजीकृत हुआ या वादपत्र प्रस्तुत होने के बाद पंजीकृत हुआ। इस तथ्य के सन्बन्ध में वादीगण ने यह साबित नहीं किया है कि उनका वादपत्र प्रदर्श 6 बैयनामा से पूर्व प्रस्तुत हो चुका था। वादपत्र में भी प्रस्तुतिकरण का समय अंकित नहीं हैं। रेस्पोडेंट संख्या 14 एक अभिलिखित खातेदार का क्रेता है तथा जब तक यह विक्रय–पत्र सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक इस विक्रय–पत्र को प्रतिवादी संख्या 14 के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य घोषित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा में रेस्पोडेंट संख्या 14 पक्षकार भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 14 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र को उसके अधिकारों के प्रति प्रभावहीन घोषित करने का निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय इस तनकी का निर्णय वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्व किया जाता है।

यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि दौराने दावा पत्थर नम्बर 449/479 (6) के किला नम्बर 22 व 23/1 में जो 0.126 हैक्टेयर व 0.127 हैक्टेयर गैर मुमकिन के रूप में दर्ज था उस राजमार्ग संख्या 106 भादरा से नोहर स्वीकृत हुआ है तथा इण्डियन रोड़ कॉग्रेंस के अनुसार यह राजमार्ग मध्य बिन्दू से 40–40 मीटर है तथा मौका पर सड़क का निर्माण हो चुका है। पूर्व में यह 82½ फीट चौड़ी सड़क किला नम्बर 22 व 23 के उतरी सिरे पर स्वीकृत थी तथा उक्त सड़क के मध्य बिन्दू से उक्त 40 मीटर चौड़ा भू–भाग के लिये सड़क के अवाप्त हो जाने के लिये अवाप्त हो जाने से किला नम्बर 22 व 23 में कोई मुमकिन भूमि शेष नहीं रहती तथा उक्त राजमार्ग से चिपते अपीलांट की औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि विद्यमान होने से अपीलांट को इस राजमार्ग पर आवागमन करने का अधिकार प्राप्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 इस अवाप्तशुदा भूमि पर निर्माण करने के अधिकारी नहीं हैं। उक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 को अपास्त किया जाता है व राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/10/21

(करतार सिहं पूनियां) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 79/2002 (2020/00079)

शब्बीर हुसैन खांन पुत्र स्व0 श्री मनू खां, जाति कायमखानी, वार्ड नम्बर 4, भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

––अपीलार्थीगण/तृतीय पक्षकार––

बनाम

1. कृष्ण बलदेव पुत्र भीखाराम, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र भीखाराम जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, जरिये मुख्त्यार कृष्णबलदेव पुत्र श्री भीखाराम, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

––रेस्पोडेंट/वादीगण––

3. मनोहरलाल
4. सोहनलाल
5. शकुन्तला

पिसरान श्री रामचन्द्र जाति नाई निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–

6. सरोज
7. सीतादेवी पत्नि स्व0 श्री वेदप्रकाश, जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 15 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

पुत्रीयां श्री रामचन्द्र जाति नाइ, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

8. सुरजीत
9. रणजीत

पिसरान श्री वेदप्रकाश, जाति नाई, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–

10. कान्ता
11. बीना
12. प्रवीण

पुत्रीयां श्री वेदप्रकाश जाति नाई, निवासीगण वार्ड नम्बर 15, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़

13. सब रजिस्ट्रार भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़
14. अनीष पुत्र श्री महबूब खां जाति कलाल, निवासी वार्ड नम्बर 8 भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़–

––रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश सहायक कलैक्टर भादरा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017, राजस्व वाद संख्या 270/2010 अनवान ''कृष्ण बलदेव आदि बनाम मनोहरलाल आदि''

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता–अपीलांट, श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2017 को अपास्त किया जाता है व राजस्व अभिलेख की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12.10.2021 को जारी की गई।

12/10/21

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:26 IST
Reason: SelfAttested